



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12012026-269306
CG-DL-E-12012026-269306

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 159]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 12, 2026/पौष 22, 1947

No. 159]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 12, 2026/PAUSHA 22, 1947

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2026

का.आ. 169(अ).—केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का 61) की धारा 4 की उपधारा (3) (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अध्यधीन दिनांक 18.12.2025 से तीन वर्ष की अवधि अथवा राज्य सभा में उनका कार्यकाल पूरा होने तक या जो भी पहले हो, के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में विधिवत निर्वाचित करने के लिए निम्नलिखित राज्य सभा सदस्य के नामांकन को अधिसूचित करती है :-

i. श्री नारायणसा के.भांडगे

[फा. सं. 25012/05/2017-सिल्क-पार्ट(1)]

पद्मिनी सिंगला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES
NOTIFICATION

New Delhi, the 12th January, 2026

S.O. 169(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (3) (c) of Section 4 of the Central Silk Board Act, 1948 (61 of 1948), the Central Government hereby notifies the nomination of following member of Rajya Sabha, having been duly elected to be Member of the Central Silk Board for a period of three years w.e.f. 18.12.2025 or till completion of his term in Rajya Sabha, whichever is earlier, subject to other provisions of the Act:

- i. Shri Narayanasa K. Bhandage

[F. No. 25012/05/2017-Silk-Part(1)]

PADMINI SINGLA, Jt. Secy.